

2023/174

15/6

जोशी स्टेशनर्स, मांडवगढ़ पु. 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेशन

(कायदा — 129)

जनरल रूलस सिविल रूलस 129 अपेन्डिक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रिसम मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमाच 5
111-128	139/23	8/6/2023	15/6/23 रिजिट	

अनवार

श. अ. लाल / श्री. दे. माला / श्री. अ. अ. लाल / श्री. दे. माला

निवासी / निवासी

M.K.D

अभिबक्ता वादो / प्रार्थी / अपीलान्त

अथिबक्ता वादो / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

रेस्पॉन्डेंट / बवयूताव

श्री. अ. अ. लाल / श्री. दे. माला

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)



अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

किस्म मुकदमा - 111-128 वनाम 139 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तारीख में जारी हुए
8/6 /2023	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 15/6/2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
15/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। माध्यमता द्वारा उपस्थित। विपक्षीयों के विरुद्ध वाद खत्म अनुपस्थित। विपक्षीयों के विरुद्ध एक पक्षीय मोहरा जारी किए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाकिल पत्र लिखें।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 139/23

तारीख दायर 8/6/23

शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहन पुत्र रामा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बजेलाल पुत्र उंकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 227 पर अंकित आराजी संख्या 167/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 227 पर अंकित आराजी संख्या 167/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिख जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 139/23

तारीख दायर 8/6/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या139..... / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहन पुत्र रामा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बजेलाल पुत्र उंकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का आराजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 227 पर अंकित आराजी संख्या 167/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है एवं कमिशनर फीस 500/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ौसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा